संचिका संख्या– म० / वि० पत्रा०–29 / 2019....2657

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, (भा०प्र०से०)
निदेशक मत्स्य।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)
(जहानाबाद, किशनगंज, शेखपुरा को छोड़कर)।

मत्स्य / पटना, दिनांक :..30.6.2025

विषयः– **E-PROC 2.0 के माध्यम से मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती करने के संबंध में।**

प्रसंगः– मत्स्य निदेशालय पत्रांक–2232 दिनांक 22.05.2025, पत्रांक–865 दिनांक 25.02.2025, पत्रांक–985 दिनांक 07.03.2025, पत्रांक–1170 दिनांक 24.03.2025 एवं पत्रांक–1857 दिनांक 02.05.2025 तथा V.C के माध्यम से दिए गये निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1232 दिनांक 28.06.2022 द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के मानक संचालन प्रकिया (S.O.P) निर्गत है। S.O.P में निहित प्रावधानों के आलोक में मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती E-PROC 2.0 के माध्यम से की जानी है, जिस हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारियों का I.D Creation कर Digital signature Certificate (D.S.C) बनवाने हेतु प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निदेशित किया जाता रहा है, साथ ही बेल्ट्रॉन के Expert के द्वारा भी E-PROC 2.0 के संदर्भ में Online Training सभी संबंधित को दिया जा चूका है। सनद रहे की राज्य में विभागीय प्रबंधन हेतु चयनित 30 मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों एवं बन्दोबस्त 04 मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों तथा नालन्दा जिला अन्तर्गत 01 बीज प्रक्षेत्र (न्यायिक प्रकियान्तर्गत लंबित) को छोड़कर शेष सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती E-PROC 2.0 के माध्यम से करने हेतु पूर्व से ही निदेशित है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेश है कि मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के मानक संचालन प्रकिया (S.O.P) के आलोक में E-PROC 2.0 के माध्यम से शीघ्र बन्दोबस्ती करना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी, साथ ही कृत्य कार्रवाई से संबंधित अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन पाक्षिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,
30/06/25
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः–म० / वि०पत्रा०–29 / 2019..2657.... / मत्स्य / पटना, दिनांक ..30.6.2025

प्रतिलिपिः–
1. उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र सभी), बिहार को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अपने स्तर से सतत् अनुश्रवण एवं निगरानी करते हुए उक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला पदाधिकारी, सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इसका अनुश्रवण कराने की कृपा करें।
3. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आई० टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

30/06/25
निदेशक मत्स्य